न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 77/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/230

वादी बनाम प्रतिवादी

सुनील कुमार पुत्र भीयाराम
जाति जाट निवासी बायतु भीमजी
तहसील बायतु व जिला बालोतरा

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पुनमाराम चौधरी,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित

:–निर्णयः–

दिनांक 19.06.2024

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम रूपनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 402/171 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदार में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता भीयाराम ने नाबालिग अपने पुत्र वादी के नाम क्रय की गई थी। वक्त खरीद के समय घरेलू बोलचाल भाषा में वादी को चेतनाम नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री में चेतनराम नाम अंकन कर दिया गया,जो अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेजो में सही नाम सुनीलकुमार है। लेकिन वादग्रस्त भूमि में अशुद्व प्रविष्टि के कारण वादी को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि नाबालिग चेतनराम पुत्र भीयाराम संरक्षक सरपस्त भीयाराम के स्थान पर सही नाम सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया।

3.प्रतिवादी का इकबाली जवाब पेश होने के कारण वादी के वाद–पत्र का वांछित अनुतोष को ही तनकीयात कायम की गई। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 01–स्वंय वादी सुनीलकुमार एवं पी.डब्ल्यू 02–भीयाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए गए। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1–वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श–3 आधारकार्ड प्रति,प्रदर्श–4

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कैन्टीन स्मार्ट कार्ड प्रति,प्रदर्श–5 आयकर पेन कार्ड प्रति,प्रदर्श–6 परिवार राशन कार्ड प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाही पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

4.वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी पक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 402/171 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का धरेलू बोलचाल भाषा में चेतनराम पुत्र भीयाराम नाम से पुकारे थे और वक्त वादग्रस्त भूमि क्रय के समय रजिस्ट्री में भी उक्त अशुद्व नाम की प्रविष्टि कर दी गई। जबकि वादी का वास्तविक नाम सुनीलकुमार है। लेकिन अशुद्व प्रविष्टि चेतनराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक सुनीलकुमार दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम सुनीलकुमार के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम नाबालिग चेतनराम पुत्र भीयाराम संरक्षक सरपस्त भीयाराम के स्थान पर सही नाम सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.प्रतिवादी की ओर से राज.पैरोकार ने बहस में निवेदन किया कि वादी का राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है। रेकर्ड में नाम शुद्व किए जाने पर राज्य सरकार को कोई क्षति नहीं होने के कारण वादी का वाद दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जावें।

6.हमनें वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी पक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रूपनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 402/171 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में वादी का नाम नाबालिग चेतनराम पुत्र भीयाराम संरक्षक सरपस्त भीयाराम इन्द्राज हो रखा है। जबकि वादी की ओर से प्रदर्श–3 से 6 दस्तावेज यथा–आधार कार्ड प्रति,कैन्टीन स्मार्ट कार्ड प्रति,आयकार पेक कार्ड प्रति व परिवार राशन कार्ड प्रति में वादी का नाम सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम इन्द्राज हो रखा है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत धतरवालों की ढाणी पंचायत समिति बायतु द्वारा जारी चरित्र/पूर्व सत्यापन प्रमाण पत्र,तहसीलदार बायतु द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र माध्यमिक परीक्षा–2010 प्रमाण पत्र,उपखण्ड अधिकारी बालोता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.7.2006,जन आधार कार्ड श्रीमति धर्मी चौधरी एवं वोटर कार्ड छायाप्रति में सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम नाम इन्द्राज हो रखा है। इससे प्रमाणित है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी वादग्रस्त भूमि में शुद्व नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। वक्त खरीद रजिस्ट्री में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि होना पाया जाता है तथा पत्रावली के संलग्न दस्तोवजो से यह भी साबित है कि वादी बालिग हो चुका

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है,जो राजस्व रेकर्ड में नाबालिग प्रविष्टि को हटाए जाने का हकदार है। प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि हो रखा है तथा अशुद्ध प्रविष्टि को दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्ध नाम चेतनराम के स्थान पर सुनीलकुमार दुरूस्त करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–रूपनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 402/171 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि नाबालिग चेतनराम पुत्र भीयाराम संरक्षक सरपरस्त भीयाराम के स्थान पर सही प्रविष्टि सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 19.6.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 77/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/230

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सुनील कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–19.6.2024

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थिति इस वाद में आज तारीख 19.6.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–रूपनगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 402/171 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि नाबालिग चेतनराम पुत्र भीयाराम संरक्षक सरपरस्त भीयाराम के स्थान पर सही प्रविष्टि सुनीलकुमार पुत्र भीयाराम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है.शेष बदूस्तर रहेगा। ।

यह आज तारीख 19.6.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	–––––
जोड	–	जोड	––––

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा